12.12.23 वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री गोपीराम द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थी सं. 1 की कृषि में स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी सं. 1 को कोई उज्र ऐतराज नहीं है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। वकील उभयपक्ष एवं पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 को

— 2 —

मूदे-द्रुमिद
[illegible]

हेरीराम

[illegible]

मेनपाल
[illegible]

उसकी कृषि भूमि चक 3 SJM के प० नं० 36/46 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने पर कोई ऐतराज नहीं है। अतः प्रार्थीगण की अपनी कृषि भूमि में आने-जाने के लिये प्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि में उक्तानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावला को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई)
RAS.